संख्या-18/2017/775/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश, कानपुर।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 17नवम्बर, 2017

विषय- जेम पोर्टल से सामग्री/सेवाओं क्रय हेतु विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/ 523/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार बायर/कन्साइनी/डीडीओ व किसी अन्य उत्तरदायी अधिकारी (यदि आवश्यक हो) को विभाग के मास्टर ट्रेनर के रूप में उत्तर प्रदेश सचिवालय के बापू भवन स्थिति कम्प्यूटर प्रशिक्षण हाल में निकाय चुनाव के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के बायर/कन्साइनी/डीडीओ व किसी अन्य उत्तरदायी अधिकारी (यदि आवश्यक हो) को विभाग के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु नामित करते हुये उनकी सूची सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 (ईमेल-**msmesec2@gmail.com**) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in